भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3324
दिनांक 12 मार्च, 2026

अंडमान-निकोबार क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण

†3324. श्री एम. के. राघवनः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंडमान-निकोबार क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन ब्लॉकों के विकास के लिए कोई समय-सीमा या रूपरेखा तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अंडमान-निकोबार बेसिन में अन्वेषण गतिविधियों पर अब तक किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में व्यापक हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के पर्यावरणीय और पारिस्थितिक निहितार्थों का मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी विदेशी कंपनी या संयुक्त उद्यम ने अंडमान-निकोबार बेसिन में अन्वेषण गतिविधियों में भाग लेने में रुचि दिखाई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग): सरकार ने वर्ष 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) शुरू की थी। अंडमान-निकोबार क्षेत्र में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ये ब्लॉक वर्तमान में अन्वेषण चरण में हैं। ब्लॉकों का विवरण इस प्रकार है:

ओएएलपी बोली दौर	ब्लॉक का नाम	प्रचालक
ओएएलपी-II	एएन-ओएसएचपी-2018/1	ओआईएल
ओएएलपी- II	एएन-ओएसएचपी-2018/2	ओआईएल
ओएएलपी-VI	एएन-यूडीडब्ल्यूएचपी-2020/1	ओएनजीसी
ओएएलपी-VI	एएन-यूडीडब्ल्यूएचपी-2020/2	ओएनजीसी

वर्ष 2021 से अंडमान-निकोबार अपतटीय बेसिन में अन्वेषण गतिविधियों पर कुल 5,000.33 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अन्वेषण गतिविधियाँ केवल ईएलए अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत उचित मंजूरी के बाद ही शुरू हो सकती हैं। ईआईए प्रक्रिया में वैज्ञानिक मूल्यांकन, हितधारक परामर्श (स्थानीय समुदायों और मछुआरों सहित) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) से मंजूरी प्राप्त करना शामिल है। यह मंजूरियाँ को प्राप्त करने के बाद ही कंपनियाँ सभी अनिवार्य सुरक्षा उपायों के साथ प्रचालन शुरू कर सकती हैं। यह प्रचालन ढांचा जिम्मेदार अन्वेषण गतिविधि के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को आगे बढ़ाने के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

(घ): अंडमान निकोबार क्षेत्र में इन 4 ब्लॉकों को दो राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात ओएनजीसी और ओआईएल को प्रदान किया गया है। हालांकि, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली दौर-5 में, अंडमान अपतटीय में गहरे समुद्री का ब्लॉक मैसर्स ईएनआई, ओएनजीसी और गेल के कॉनसोरटियम को प्रदान किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2014 में त्याग दिया गया था।

*****